न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/2021 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 03.08.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/69

भैरूलाल पिता भूरालाल जाति मीणा, आयु 43 वर्ष, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–जगन्नाथ पिता गलवा जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मिट्ठूलाल पिता गलवा जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–हजारी पिता गलवा जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध भू आवंटन कमेटी, डूंगला बमिसल क्रमांक 76/1977 आवंटन दिनांक 05.10.1977

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्र. सं. 69/2021 (रा.प्रा.पत्र)
भैरूलाल पिता भूरालाल मीणा निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला बनाम जगन्नाथ पिता गलवा मेघवाल निवासी बिलोदा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 08.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटी परथा पिता भैरा चमार निवासी बिलोदा को मौजा नोरंगाबाद, तहसील डूंगला की साबिक आराजी नम्बर 80 में से 3 बीघा भूमि, भू आवंटन कमेटी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के आवंटित कर दी। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी एवं विपक्षीगण का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का उसके पिता स्व. भूरालाल के वक्त बिलानाम से चला आ रहा है व वर्तमान में भी प्रार्थी जो भूरा का पुत्र है के कब्जे मे चली आ रही है। इस भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। विपक्षीगण ने आवंटन शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की हैं जिससे विपक्षीगण का आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र पालीवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 4 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से उक्त तलबीदा पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त हुई। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा नोरंगाबाद, तहसील डूंगला की साबिक आराजी नम्बर 80 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन भू आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी परथा पिता भैरा चमार को किया जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता स्व. भूरालाल का वक्त बिलानाम से कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में भी प्रार्थी के कब्जे-काश्त में है। उक्त आराजी बिना किसी जांच पड़ताल के विपक्षीगण के पूर्वज परथा पिता भैरा चमार को अवैधानिक तरीके से आवंटित कर दी जिसे परथा पिता भैरा चमार ने स्टाम्प तादादी 20/- रूपये पर लिखापढ़ी कर उक्त भूमि को प्रार्थी के पिता भूरालाल को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तभी से आवंटी परथा व उसके

पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 3 का कभी कब्जा नहीं रहा फिर परथा की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात परथा की पत्नि डाडमी के विरासत से दर्ज कर दी व डाडमी की मृत्यु पश्चात् नामान्तरण संख्या 187 स्वीकृत दिनांक 06.06.2016 से उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है ऐसी स्थिति में परथा के नाम जारी आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। उक्त आराजी के नवीन नम्बर 128/80 रकबा 0.75 हैक्टेयर कायम किये जिसका मौका पर्चा बनाया जिसमें भी उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के द्वारा काश्त की जाने का स्पष्ट अंकन है। डाडमी बेवा परथा चमार की विरासत होने से विपक्षी संख्या 1 से 3 गैर खातेदार कायम हुए है जबकि उनका कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है। वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली भी नहीं थी जिससे बिना प्रार्थी को बेदखल किये गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटी परथा को आवंटित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में आवंटी को किया गया आवंटन अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर भू आवंटन कमेटी डूंगला द्वारा मौजा नोरंगाबाद की साबिक आराजी नम्बर 80 जिसके नवीन आराजी नम्बर 125/80 रकबा 0.7590 हैक्टेयर का आवंटन निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 का मुख्य कथन यह रहा कि भू आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक से उक्त आराजीयात पर परथा पिता भैरा चमार काबिज था उसकी मृत्यु पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 3 काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। आवंटी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की गई है। आवंटन परथा पिता भेरा चमार को हुआ है तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता गलवा जी, परथा पिता भैरा चमार के गोद आने से काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं आवंटी परथा की मृत्यु तथा उसके पश्चात् उनके गोद पुत्र गलवा की मृत्यु हो जाने से विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण स्वीकृत होने से विपक्षी संख्या 1 से 3 उक्त आवंटन शुदा भूमि पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं आवंटी परथा पिता भैरा चमार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन किया गया एवं आवंटी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 ने काफी धन एवं अंग मेहनत कर भूमि को नियमानुसार

निश्चित समयावधि मे काश्त कर उपजाऊ बनाया, जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा नोरंगाबाद, तहसील डूंगला की साबिक आराजी नम्बर 80 में से 3 बीघा भूमि आवंटी परथा पिता भैरा चमार को भू आंवटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती। आवंटी परथा पिता भैरा चमार द्वारा मौजा नोरंगाबाद, तहसील डूंगला की साबिक आराजी नम्बर 80 में से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा ने उक्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 80 में से 3 बीघा भूमि आवंटी परथा पिता भैरा चमार को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

आवंटी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने से ही साबिक आराजी नम्बर 80 जिसके नवीन आराजी नम्बर 125/80 रकबा 0.7590 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 उसे आवंटनशुदा भूमि के खातेदार है, और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)